न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री राजेन्द्र विजय आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 21/2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला—बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

महावीर पुत्र मड्डूलाल जाति जाटव निवासी नागर गावड़ा तहसील श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.) **(अप्रार्थी)**

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**

2. श्री वीरेन्द्र गौत्तम अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

आदेश दिनांक— 15.11.2021

1— प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 2507 रकबा 1.00 है. किस्म नहरी I वाके ग्राम रायथल तहसील—मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069—72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2014—2023 में खसरा नम्बर 8 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044—63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 38 रकबा 1.00 हैं एवं खसरा नंबर 46 रकबा 0.04 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I दर्ज कर ख.नं. 2507 रकबा 1.00 है. को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा—16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन/नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. [illegible] संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय [illegible] 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जा[illegible] आवश्यक है। अतः [illegible] निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि ग्राम रायथल की आराजी ख.न. 2507 रकबा 1.00 है. पुराना ख.नं. 8 का नहीं बना है बल्कि संवत 2040—63 में ख.नं. 8 के ख.नं. 38 बने हैं एवं ख.नं. 38 के बाद ख.नं. 2507 बना है। उक्त आराजीयात अप्रार्थी का एलोट नहीं हुई है। बल्कि बजरंगा पुत्र बद्रीलाल को एलोट हुई थी इसके पश्चात उसके पुत्र हीरालाल के आई थी तत्पश्चात प्रार्थी ने दिनांक 25.05.2012 को तहसील से विक्रय की एन.ओ.सी. प्राप्त कर हीरालाल से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है। तब से प्रार्थी ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात इंतकाल नं. 238 दिनांक 10.05.1967 को बजरंगा पुत्र बद्रीलाल को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जिसकी कोई अपील सरकार द्वारा नहीं की गयी और ना ही उक्त इंतकाल खारिज हुआ। जिस समय नियमन किया गया उस समय उक्त भूमि तलाई नही थी बल्कि माल द्वितीय के रूप में दर्ज थी उक्त आराजी लम्बे समय तक 10.05.1967 के पूर्व तक बजरंगा के गैर खाते दर्ज थी 10.051967 को इंतकाल नं. 238 से बजरंगा को खातेदार घोषित किया। उक्त भूमि पर बजरंगा का 1967 से पूर्व से ही कब्जा रहा है और उसके बाद हीरालाल का कब्जा रहा है तथा क्रय तिथि से प्रार्थी का कब्जा रहा है। इस प्रकार उक्त भूमि पर 50 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है। रेफरेंस अवधि मध्य नहीं है इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जिन अधिकारों के तहत नियमन कमेटी द्वारा उक्त भूमि का नियमन किया गया था वह अधिकार आज तक भी कायम है उनको राज्य सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। इसलिये भी रेफरेन्स विधिवत नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। खातेदार की भूमि को राज्य सरकार किसी भी कार्य के लिये अधिग्रहित करना चाहती है तो नियमानुसार डीएलसी दर का दुगुना मुआवजा राशि अदा करके ही भूमि अधिग्रहित की जा सकती है। अतः रेफरेन्स की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज.)

3— उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की। बहस के दौराने अप्रार्थी अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः हमने प्रकरण में पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

4— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम रायथल की आराजी खसरा नम्बर [illegible] 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौरा[illegible] औपचारिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस [illegible] विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 2507 रकबा 1.00 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थी को आवंटन/नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 38 रकबा 1.00 हैं बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

7– अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित/नियमन आराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई का आवंटन/नियमन की गयी आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 38 रकबा 1.00 है0 बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंस माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested

8– परिणास्वरूप प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान ... आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 1.00 है0 किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 8 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 1.00 है0 किस्म नहरी I वाके ग्राम रायथल तहसील–मांगरोल की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 15.11.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.02.02 12:33:54 IST
Reason: SelfAttested